फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

निर्माण अधिकारी, 48 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल बनाम जी0एफ0सी0 सूरतगढ़

किस्म मुकदमाः–रास्ता स्वीकृति प्रकरण

प्रकरण संख्याः–71/2025
GCMS:- 2025/193

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.09.2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्माण अधिकारी, 48 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, 7 ए छोटी, श्रीगंगानगर ने जरिये पत्र तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 619/444, 620/446, 624/458 में 643 बीघा बारानी रकबा सीमा सुरक्षा बल 62 वीं बटालियन सैनिक क्षेत्र के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित है, में आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहे रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किया है। इस संबंध में तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार सीमा सुरक्षा बल द्वारा कस्बा सूरतगढ़ के खसरा संख्या 618/444 (444/4) की 1.960 हैक्टर भूमि का उपयोग रास्ता में लिया जा रहा है। उक्त रास्ता मौका पर चालू बताया है। उक्त रकबा घग्घर फल्ड नियंत्रण, सिंचाई विभाग के नाम से अंकन है। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता घग्घर फल्ड कन्ट्रोल, सिंचाई विभाग के नाम से अंकित होने से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है। क्योंकि घग्घर का रकबा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रतिबंधित है। इसलिये प्रकरण में रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा घग्घर के नाम अंकित होने के कारण कि उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है या नही? के संबंध में मार्गदर्शन हेतु जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर का पत्र जारी हो। पत्रावली मार्गदर्शन प्राप्त होने पर पुनः पेशी में ली जावें। तब तक नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.09.24 19:07:54 IST Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

क्रमांक/राजस्व/प्रा0पत्र/71/2025/24.09.2025/5654 दिनांकः– 24.09.2025

श्रीमान जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर।

विषयः–प्रकरण संख्या 71/2025 उनवान निर्माण अधिकारी, 48 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल बनाम घग्घर फल्ड नियंत्रण, सिचाई विभाग, सूरतगढ़ बाबत् रास्ता स्वीकृति प्रकरण

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निर्माण अधिकारी, 48 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, 7 ए छोटी, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र प्रेषित कर तहसील सूरतगढ़ के कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 619/444, 620/446, 624/458 में 643 बीघा बारानी रकबा सीमा सुरक्षा बल 62 वीं बटालियन सैनिक क्षेत्र के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित है, में आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहे रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करने का निवेदन किया गया। इस संबंध में तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट अनुसार सीमा सुरक्षा बल द्वारा कस्बा सूरतगढ़ के खसरा संख्या 618/444 (444/4) की 1.960 हैक्टर भूमि का उपयोग रास्ता में लिया जा रहा है। उक्त रास्ता मौका पर चालू बताया है। उक्त रकबा घग्घर फल्ड नियंत्रण, सिंचाई विभाग के नाम से अंकन होना बताया है।

अतः उक्त प्रकरण में निवेदन है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा रास्ता के उपयोग में लाया जा रहा रकबा मुताबिक राजस्व रिकार्ड घग्घर फल्ड नियंत्रण, सिंचाई विभाग के नाम से अंकित है। मौका पर रास्ता चालू है। रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा घग्घर के नाम अंकित होने के कारण कृपया मार्गदर्शन प्रदान फरमावें कि उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है या नही?

सादर।

भवदीय

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

क्रमांक/राजस्व/प्रा0पत्र/71/2025/24.09.2025/5655 दिनांकः– 24.09.2025

प्रतिलिपि :– निर्माण अधिकारी, 48 बटालियन सीमा सुरक्षा बल, 7 ए छोटी, श्रीगंगानगर को सूचनार्थ प्रेषित है। (पंजीकृत डाक द्वारा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.24 19:07:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)